

:: मूल वाद में डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:-श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-238/2012 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री रामेश्वर पिता कल्याण जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

-----वादी

बनाम

- 1-श्री अमरा पिता घीसा जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री जमना पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री मांगीलाल पिता हजारी जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्री उदयलाल पिता बगतावर जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्री भैरूलाल पिता बगतावर जाट, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 7-सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा जरिये मैनेजर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी की संख्या से 6 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 18.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूप्यों राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज हेतु द्वारा राशि - को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 4132 रकबा 3 बीघा 7 वा भूमि में से उत्तर से दक्षिण की तरफ तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ से प्रतिवादीगण बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल कब्जा वादी को सिपुर्द किया जायें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(जगदीश प्रसाद बैरवा)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से

की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा